

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया(जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का स्वीकृत्यादेश संलग्न) के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)10 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	सहायक निदेशक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ध्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० छट्ठू साह, स्व० हरिहर साह, सामान्य	श्रीमती रूकमीना देवी(पत्नी)	257/05/07/2 018	ग्रा०-नया टोला मझौवा, पो०-बीबी बनकटवा, था०-चौतरवा, प्र०-बगहा 1, प० चम्पारण, बतिया	10030110 30074651	UBGB Englishiya, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० सोहन पासी, स्व० सीताराम पासी, अनु० जाति	श्रीमती तेतरी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बहुअरवा, पो०-परसौनी फार्म, था०-चौतरवा, प्र०-बगहा 1, प० चम्पारण, बतिया	10030110 30074583	UBGB Englishiya, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० रामप्यारे यादव, स्व० बंजु, सामान्य	श्रीमती विधावती देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बांके पट्टी, मझौवा, पो०- बीबी बनकटवा, था०-चौतरवा, प्र०-बगहा 1, प० चम्पारण, बतिया	33129328 47	Central Bank of India, Parsauni, CBINO281791	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० दहारी साह, स्व० गिरधर तुरहा, सामान्य	श्रीमती गोधनी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-पहाड़ी मझौवा, बीबी बनकटवा, था०-चौतरवा, प्र०-बगहा 1, प० चम्पारण, बतिया	31895939 89	Central Bank of India, Parsauni, CBINO281791	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० फरमूद शेख, मो० अकुब शेख, सामान्य	श्रीमती बिशमिल्लाह खातुन(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-मंगुराहा, पो०+था०+प्र०-गौनहा, प० चम्पारण, बतिया	31964088 059	State Bank of India, Gaunaha, SBIN0002936	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० ललन राम, श्री हरंगी राम, अनु० जाति	श्रीमती कलावती देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-लछनौता, पो०-लछनौता प्र०+था०-गौनहा, प० चम्पारण, बतिया	10018710 30034273	UBGB, Amolwa, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० वैधनाथ चौधरी, स्व० लुटावन चौधरी, सामान्य	श्रीमती पन्ना देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बैरियाडीह, पो०-भित्तिहरवा, था०+प्र०-गौनहा, प० चम्पारण, बतिया	31031329 31	SBI, Gaunaha, SBIN0002936	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० बुधेश्वर महतो, स्व० शीतल महतो, अनु० जाति	श्रीमती फुल कुमारी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+था०+प्र०-गौनहा, प० चम्पारण, बतिया	34186729 958	SBI, Gaunaha, SBIN0002936	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
9	स्व० द्वारिका साह, स्व० ठग साह, सामान्य	श्रीमती समतोला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+था०+पो०+प्र०-गौनहा, प० चम्पारण, बतिया	32682461 162	SBI, Gaunaha, SBIN0002936	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर
10	स्व० वकील प्रसाद, श्री टेनी प्रसाद, सामान्य	श्रीमती मैना देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-पटजिरवा, (बगही बघम्बरपुर)था०-श्री नगर पुसहो, प्र०-बैरिया, प० चम्पारण, बतिया	39775466 27	Central Bank of India, Beghampur, CBINO281704	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 300000/-
(तीन लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-06/2018 के पृष्ठ-14/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-06/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-06/2018-378

पटना, दिनांक :-10-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

<u>31/6/18</u> 09.08.18	<u>6/08/18</u>	<u>10/08/18</u>
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।